

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, सभी बालकों, विद्यार्थियों व नागरिक बन्धुओं से अपेक्षा करता है कि संविधान में वर्णित मुख्य कर्तव्य (भाग 51क) का संकल्प लें। मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ और कर्तव्य निष्ठा से ....

- आदर करूँगा - संविधान का, राष्ट्रधर्वज का एवं राष्ट्रगान का।
- पालन करूँगा - राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का।
- रक्षा करूँगा - देश की, भारत की एकता-अखण्डता और प्रभुता की एवं वन, झील, नदी और वन्य जीव की।
- सेवा करूँगा - राष्ट्र की।
- त्याग करूँगा - स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का एवं धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव का।
- दयाभाव रखूँगा - प्राणी मात्र के प्रति।
- दूर रहूँगा - हिंसा से।
- संरक्षा करूँगा - सार्वजनिक सम्पत्ति की।
- विकास करूँगा - वैज्ञानिक टृष्णिकोण का, मानववाद का, सुधार की भावना का।
- निर्माण करूँगा - भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का।
- प्रयास करूँगा - व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का।

“अधिकारों के प्रति जागरूक रहो,  
कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो।”

-अध्यक्ष : जस्टिस एन.के. जैन

(पूर्व मुख्य न्यायाधिपति-मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट)

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जनहित में प्रसारित  
[www.rshrc.nic.in](http://www.rshrc.nic.in)    [www.justicenagendrakjain.com](http://www.justicenagendrakjain.com)

## मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप, दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ

अप्रैल 1, 2009 से जून 30, 2010 तक

न्यायमूर्ति एन.के. जैन  
चैयररपर्सन



राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

एस.एस.ओ. बिल्डिंग  
शासन सचिवालय, जयपुर

# Reciting the Pledge — fundamental duties mentioned in Article 51-A, Constitution of India

## "We are proud to be an Indian"

**It shall be the duty of every citizen of India :**

- (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
- (b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;
- (c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
- (d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
- (e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- (f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
- (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures;
- (h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
- (i) to safeguard public property and to abjure violence;
- (j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

For legal awareness and in public interest published by—

**RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION**  
SSO Building, Secretariat, Jaipur.  
[www.rshrc.nic.in](http://www.rshrc.nic.in)   [www.herenow4u.de](http://www.herenow4u.de)

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, (पूर्व मुख्य न्यायाधिपति मद्रास एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय)ने विविध विषयों पर लेख/लघु पुस्तिकाएँ आदि लिखी हैं। जिनका प्रकाशन भी किया गया है। इन लेखों/लघु पुस्तिकाओं में से कुछ निम्न हैं:-

1. सन्थारा/सल्लोखना (हिन्दी व अंग्रेजी में) [www.herenow4u.de](http://www.herenow4u.de) (Eng.)
2. भारतीय संस्कृति में अहिंसा व मानव अधिकार (हिन्दी व अंग्रेजी में)
3. अणुब्रत व मानवाधिकार
4. खेल, खिलाड़ी व खेल भावना
5. बालकों के अधिकार। (पुनः प्रकाशित)
6. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर। (पुनः प्रकाशित)
7. एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार। (पुनः प्रकाशित)
8. मानवाधिकार और जैन धर्म। (हिन्दी व अंग्रेजी में)
9. आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
10. आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
11. भारतीय संविधान की अनुच्छेद-21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
12. महिलाओं के अधिकार- संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी। (पुनः प्रकाशित, पुनः प्रकाशित 2008)
13. दलितों के अधिकार। (पुनः प्रकाशित)
14. मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
15. गिरफ्तारी (ARREST) (पुनः प्रकाशित)
16. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
17. जेल, कारावास से संबंधित प्रावधान व गतिविधियाँ।
18. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ 2007
19. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ (पुनः प्रकाशित-2008)
20. Judicial Values & Ethics for Judicial Officers. [www.rshrc.nic.in](http://www.rshrc.nic.in)
21. Advantage to Litigant Public by Brihat Lok Adalat.
22. Alternative Dispute Resolution, Conciliation & Mediation (ADR).
23. Institutional Arbitration Intellectual & Information Technology (IPR & IT).
24. Cyber Law.
25. Copy-right Law.
26. e-governance and Court Automation.
27. Article-14 Right to Equality.
28. Gender Justice in Employment & in Profession, Empowerment of Women.
29. Law of Precedent, Reference to Art. 141.
30. Directive Principal of State Policies.
31. Public Interest Litigations & others.
32. मानवाधिकार और कर्तव्य। (संविधान के आर्टिकल 51ए के सन्दर्भ में)

HUMAN RIGHTS-  
LEGAL LITERACY & AWARENESS SERIES-19/2010

मानवाधिकार आयोग  
के महत्वपूर्ण कार्यकलाप,  
दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ  
अप्रैल 1, 2009 से जून 30, 2010 तक

न्यायमूर्ति एन.के. जैन  
चैयरपर्सन



राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग  
एस.एस.ओ. बिल्डिंग  
शासन सचिवालय, जयपुर

## प्राक्कथन

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का इसके गठन से ही यह प्रयास रहा है कि राज्य की आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के साथ—साथ लोक सेवकों को समर्पित भाव से कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया जाये। यह सही है कि प्रत्येक नागरिक की मानवाधिकारों के हनन से बचाने के लिए यह आयोग बनाया गया है। अब तक राज्य के लोक सेवकों को यह सोच थी कि यह आयोग उन पर थोपा गया है, परन्तु आयोग द्वारा यह बताने पर कि यह आयोग कोई समानान्तर कोर्ट/सरकार नहीं है, अपितु यह तो लोक सेवकों से अपने—अपने कार्य निष्ठा और संवेदनशीलता से करने की अपेक्षा करता है और आयोग तो सुशासन में ही मददगार है। पिछले करीब 5 वर्षों के निरन्तर प्रयास से अब उनकी सोच में धीरे—धीरे बदलाव आ रहा है।

आयोग द्वारा शिकायतों की सुनवाई के अलावा समय—समय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विचार—विमर्श किया जाकर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि समृद्ध लोग तो अपने अधिकारों की रक्षा करने एवं मानवाधिकारों के हनन को रोकने में सक्षम है, किन्तु हमें हर वर्ग, खास तौर पर पीड़ित, दलित एवं कमज़ोर वर्ग के साथ—साथ बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी। इसलिए हमें अहम् भाव नहीं रख कर सेवा भाव, मानवीय दृष्टिकोण, संवेदनशीलता एवं सद्भावना से कार्य करना होगा।

विविध कानूनी व अन्य विषयों पर 32 लेखों के माध्यम से जागरूकता का लघु प्रयास किया गया। आयोग द्वारा 18 बुकलेट्स प्रकाशित की गई है, जो स्कूल लाइब्रेरीज में भेजी गई। यह भी खुशी की बात है कि कई स्कूलों में जीरो ॲवर के दौरान बच्चों को इन विषयों की जानकारी दी जा रही है। जिनमें से कुछ को पुनः प्रकाशित करवाया गया है। कई व्यक्तियों ने कुछ बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से अपने प्रियजनों की याद में करीब 6000 पुस्तकों को पुनः प्रकाशित करवाया। इसके अलावा अन्य बुकलेट्स जैसे—महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी,

*HIV AIDS, Human Rights* मानवाधिकार और कर्तव्य, मानवाधिकार व जैन धर्म, राज्य के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं, स्कूलों द्वारा 80,000 पुस्तकों का प्रकाशन कर आमजन को निःशुल्क वितरित किया गया। इस पुनीत कार्य में उक्त संस्थाओं का प्रदेश के नागरिकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

यही बात हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना, लोगों की मूल भावना और लोकतंत्र की मंशा *of the people, for the people, by the people* के अनुरूप भी है, जिसमें देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ—साथ कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी अपेक्षा की गई है। तभी हम संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। इसलिए जैसा व्यवहार हम दूसरों से हमारे लिये चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना होगा।

मानवाधिकारों के प्रचार—प्रसार के साथ—साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल— 51ए की मंशा के अनुरूप लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए आयोग द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत कई स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प दोहराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग की अपील पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, जयपुर नगर निगम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी अपने कार्य के साथ—साथ इस जन जागरूकता कार्यक्रम में जुड़कर लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। छात्रों को प्राथमिक शिक्षा से ही यह संकल्प दोहराना अनिवार्य होना चाहिए ताकि उनमें बाल्यावस्था से ही देश एवं संविधान के प्रति आदरभाव, मानवीय मूल्यों को समझने के संस्कार बनें। साथ ही, कर्तव्यों के प्रति समर्पिता की भावना जागृत हो। मेरे मतानुसार इस मुहिम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तथा सीबीएसई का योगदान बहुत महत्व रखता है। इसी क्रम में, लगभग 95 संस्थाओं द्वारा इस प्रारूप के 80000 से ज्यादा कलेञ्चर्स और 50000 के करीब पेम्पलेट्स छपवा कर राज्य भर में अपने कार्यक्रमों के दौरान बंटवाये व कुछ संस्थाओं ने करीब 4000 व्यक्तियों को ई—मेल भेजकर इस अभियान में सहयोग कर आयोग को अवगत कराया है। आयोग उनके इस कार्य की भूरि—भूरि प्रशंसा करता है। आयोग द्वारा प्रकाशित ‘त्रैमासिक न्यूज लेटर’ के माध्यम से भी आयोग के कार्यकलापों को अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया

जा रहा है। 18 लघु पुस्तिकाएँ दिशा—निर्देश व अन्य गतिविधियों की एक कन्सोलिडेटेड किताब “मानवीय मूल्य, कर्तव्य एवं अधिकार” विभिन्न स्कूलों कॉलेजों व विश्वविद्यलयों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं। विगत करीब पांच वर्षों में आयोग द्वारा 16 न्यूजलेटर्स के अंक प्रकाशित करवाये जा चुके हैं। आयोग ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 7 (दो पूर्व के वर्षों सहित) वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार प्रेषित किए हैं।

इसके अलावा विभिन्न लॉ कॉलेज/यूनिवर्सिटी के 40 छात्र-छात्राओं ने आयोग में इन्टर्नशिप के दौरान अपने—अपने विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट्स तैयार किए। उनके द्वारा प्रोजेक्ट विभिन्न विषयों पर word files तैयार की। कुछ विद्यार्थियों ने अन्य 14 विषयों पर व फिर 7 विषयों पर जैसे महिलाओं के अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, बाल श्रम, पर्यावरण, रेंगिंग, वूमेन ट्रेफिकिंग, कैंसर, एचआईवी एड्स, जुवेनाइल जस्टिस, फीमेल फॉर्टिसाइट, आर्टिकल—51ए, आयोग, आयोग की गतिविधियों व दिशा—निर्देश आदि पर पॉवर पाइंट प्रोजेक्ट्स तैयार किये। आयोग ने 14 विषय की (Consolidated) सी.डी. व फिर 7 विषयों की (Consolidated) सी.डी. तैयार की। विद्यार्थियों की अपनी विभिन्न विषयों पर बनाई सी.डी. सम्बन्धित लॉ कॉलेज/यूनिवर्सिटी में दिखाई जा रही हैं। मई—जून, 2010 के दौरान लॉ कॉलेज के करीब 31 विद्यार्थियों ने अपनी इन्टर्नलशिप के दौरान विभिन्न प्रोजेक्ट्स आयोग में पेश किये, जिनमें 21 पॉवर पॉइंट में कन्सोलीडेड सी.डी. कर दो भागों में सी.डी (3—4) वेबसाइट पर दिये जा रहे हैं। साथ में करीब 33 संस्थाओं ने आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई (Consolidated) सी.डी. 0 का अपने विभिन्न कार्यक्रमों में आमजन को विविध जानकारी के साथ प्रोजेक्टर पर प्रदर्शन करवाकर विद्यार्थी व आम नागरिकों को अवगत कराने में जो महत्वपूर्ण सहयोग दिया जा रहा है, प्रशंसनीय है।

आयोग को पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के प्रचार प्रसार से ground realities की जानकारी मिलेगी। विद्यार्थियों तथा लोक सेवकों के साथ—साथ आमजन में भी नैतिकता व अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण एवं देश के प्रति त्याग की भावना का अधिक से अधिक विकास होगा।

मेरा मानना है कि सिर्फ सरकार, कानून बनाने व कानूनी प्रक्रिया से ही यह सब संभव नहीं है। इसलिए सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और आम

जनता को जागरूक रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण क्षमता और निष्ठा के साथ कर हम सबको सहयोग देते हुए कार्य करना होगा।

आयोग में पिछले 56 महीनों में करीब 17100 परिवाद प्राप्त हुए। जिनमें से 16050 के लगभग परिवादों का तर्कसंगत निष्कर्ष निकाल कर निस्तारण किया गया। इस वर्ष 3251 दर्ज हुए जिनमें 2714 का निस्तारण किया गया व 31.3.2010 को 537 शेष रहे। वेसे नये, पुनः सुनवाई व पुराने 921 शेष परिवाद आयोग के समक्ष लम्बित हैं। अबतक लगभग 200 दिशा—निर्देशों में से राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों ने करीब 160 मामलों में क्रियान्विति कर आयोग को सूचित किया। परन्तु शेष व Recurring Cause of Action वाले मामले बाकी हैं। कल्याणकारी राज्य में कार्यरत सभी लोक सेवकों की जिम्मेदारी है कि वो आमजन के मानवाधिकारों हनन को रोकने में तत्परता से सहयोग दें, संवेदनशीलता रख आमजन की समस्याओं का निराकरण कर सुशासन प्रदान करें।

लोकतंत्र में मिडिया की भूमिका का भी बहुत महत्व है। अतः आयोग मिडिया से भी जनसाधारण में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने हेतु अधिकाधिक सहयोग की अपेक्षा करता है।

अतः सरकार के साथ—साथ सभी वर्ग के लोगों से मानवाधिकार आयोग की अपेक्षा है कि वे मानवाधिकारों का संरक्षण करें। यह किसी का अधिकार है तो किसी का कर्तव्य। दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी और तभी हम देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने में सहायक होंगे।

अंत में, मानवाधिकारों के संरक्षण, संवर्धन व जागरूकता के कार्यक्रम में सभी महानुभाव बंधुओं के सहयोग व योगदान के साथ—साथ राज्य सरकार व सभी विभागों, आयोग के माननीय सदस्यों, अधिकारियों/कर्मचारियों, सभी संस्थाओं एवं पत्रकार बंधुओं का मैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से तहेदिल से आभार प्रकट करता हूँ।

दिनांक 02.04.2010

“अधिकारों के प्रति जागरूक रहो – कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो।”

— न्यायमूर्ति एन०के० जैन, अध्यक्ष

# राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्ष 1 अप्रैल, 2009 से 30 जून, 2010 के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय एवं दिशा-निर्देश

पुलिस से सम्बन्धित

1. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 16 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा सर्च, सीज एवं गिरफ्तारी के समय प्रोसिजर फॉलो नहीं करने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा सभी पुलिसकर्मियों से रूल ऑफ लॉ मेन्टन करने के लिए ऐसा प्रोसिजर फॉलो करने की अपेक्षा की गई।
2. परिवाद संख्या— 08 / 17 / 1312 में एक वृद्ध दम्पति को उसी के पुत्र—पुत्रवधु द्वारा परेशान करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जयपुर पूर्व को नियमानुसार कानूनसम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।
3. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 278 में पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की गई कि वे मामले में तत्परता लाकर गुमशुदा का तलाश का हर संभव प्रयास करेंगे।
4. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 700 व परिवाद संख्या— 09 / 17 / 1003 में परिवादी को हैरान परेशान करने पर गैर सायलान को धारा— 107 / 116 दंप्र०सं० में पाबन्द कर आयोग को सूचित किया गया।
5. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 624 में पुलिस अधीक्षक जयपुर (उत्तर) जयपुर द्वारा परिवादिया को बिजली मुहैया कराने का माकूल इन्तजाम कर आयोग को सूचित किया गया।
6. परिवाद संख्या— 08 / 09 / 3836 में पुलिस थाना— नैनंवा के अपचारी पुलिसकर्मी को आयोग के निर्देशानुसार 17 सी०सी.०१ की कार्यवाही में परिनिव्वा के दण्ड से दंडित कर सूचित किया गया।
7. परिवाद संख्या— 09 / 10 / 561 में एक मासूम बालक को चोरी के मामले में पकड़ कर खंभे से बांधने और फिर उस लड़के के गायब हो जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को निर्देश दिए गये कि वे

- बाल के मिलने के उपरान्त कथनानुसार वैधानिक कार्यवाही करें।
8. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 52 में पुलिस अधीक्षक, जयपुर पूर्व, जयपुर को आयोग को सही रिपोर्ट भेजने और आयुक्त नगर निगम को नियमानुसार एक्शन लेकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।
9. परिवाद संख्या 09 / 17 / 1353 एवं 09 / 17 / 1482 में वस्तुस्थिति लेने के बाद आयोग के महानिरीक्षक पुलिस को जांच रिपोर्ट के सत्यापन बाबत् निर्देश दिए।
10. परिवाद संख्या— 09 / 04 / 2775 में जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा व रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को निर्देश दिए गये कि वे एनएचआरसी के दिशा—निर्देश दिनांक 25 सितम्बर 2009 की पालना करते हुए अपेक्षा की कि वे मानव अधिकार आयोग के मिलते—जुलते नाम से संस्थाओं द्वारा लोगों को गुमराह करने की शिकायत मिलने पर कानूनसम्मत कार्यवाही करें और की गई कार्यवाही से आयोग को सूचित करें।
11. परिवाद संख्या— 09 / 32 / 1236 व 09 / 32 / 1247 में महानिदेशक (पुलिस) व महानिदेशक (जेल) के साथ—साथ पुलिस अधीक्षक उदयपुर व अधीक्षक केन्द्रीय कारागार को निर्देश दिए गये कि वे बंदियों की जेल में, उन्हें कोर्ट ले जाते समय व हवालात में सुरक्षा का पुख्ता इन्तजाम करें और उन तक किसी प्रकार का हथियार ना पहुंचे, इस हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित करें, जिससे आयंदा हवालात में मारपीट या हत्या की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।
12. परिवाद संख्या— 09 / 33 / 1604 में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को हिदायत दी गई कि परिवादी को धमकी दिए जाने की शिकायत मिलने पर वस्तुस्थिति देखकर कानूनसम्मत कार्यवाही की जाये।
13. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 1618 में आयोग के निर्देश पर विपक्षी को धारा— 107, 116 दं.प्र.सं. से पाबद किया जाकर सूचित किया गया।
14. परिवाद संख्या— 09 / 02 / 2447 में पुलिस विभाग से अपेक्षा की गई कि किसी मामले के अनुसंधान के दौरान किसी के किए गये अपराध की

- garb में अपराधी के रिश्तेदार या आमजन को बिना किसी कारण के परेशान और अमानवीय व्यवहार नहीं करें।
15. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 1072 में व्यक्ति को पूछताछ के नाम पर गैर कानूनी तौर पर अवरुद्ध रखे जाने और मानसिक यंत्रणाएं दिए जाने की शिकायत पर परिवाद की प्रति पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर को भेजकर मुकदमा दर्ज करने और अनुसंधान के नतीजे से आयोग को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।
  16. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 1075 में यातायात विभाग के पुलिसकर्मी द्वारा बिना हेलमेट मोटरसाईकिल चलाने के मामले में कानी० मूलाराम के विरुद्ध 17 सीसीए की कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया गया। आयोग ने यातायात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गये कि वे ड्यूटी के समय स्वयं भी नियमों की पालना करते हुए कार्यवाही करें।
  17. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 1334 में यातायात पुलिस, नगरनिगम व जे०डी०ए० को आपसी समन्वय से काम करते हुए स्पीडब्रेकर बनाने सम्बन्धी कार्ययोजना बनाने और निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्पीडब्रेकर बनाने के निर्देश दिए गये।
  18. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 2439 में आयोग के निर्देशानुसार परिवादी व गैरसायलान को धारा— 107, 116 (3) जा० फौ० के तहत इस्तगासा पेश कर न्यायालय में पेश किया गया।
  19. परिवाद संख्या— 9 / 17 / 2895 में आयोग ने कई लम्बित विभिन्न मामलों में समय पर वस्तुस्थिति उपलब्ध नहीं कराने पर महानिदेशक (पुलिस) / महानिदेशक (जेल), जयपुर जिले के सभी पुलिस अधीक्षकों, / मुख्य कार्यकारी अधिकारी—जयपुर नगर निगम को आयोग द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई टिप्पणी किए जाने से पूर्व उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु न्यायहित में एक मौका दिया।
  20. परिवाद संख्या— 9 / 33 / 2273 में आयोग द्वारा पुलिसकर्मियों को अपने व्यवहार में संवेदनशीलता लाने और अकारण ही पक्षकारान के साथ मारपीट नहीं करने की हिदायत दी गई।

21. परिवाद संख्या— 9 / 17 / 3300 में महानिदेशक पुलिस से अपेक्षा की गई कि सीएलजी सदस्यों के कार्यक्रमों की समय—समय पर मोनिटरिंग होती रहे और सीएलजी सदस्य भी वास्तव में संवेदनशीलता से काम करते हुए आमजन में स्वयं के प्रति विश्वास पैदा करें।
  22. परिवाद संख्या— 10 / 17 / 611 में पुलिस थाने में जबरन मारपीट करने के सम्बन्ध में महानिदेशक पुलिस के निर्देशानुसार पुलिसकर्मी मदन सिंह, पु०नि० के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर धारा— 16 सीसीए रूल्स के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आयोग को सूचित किया गया।
- नगर निगम / जे. डी. ए. से सम्बन्धित
1. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 833 में आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम को आपस में समन्वय बनाते हुए कार्य करने के निर्देश दिए गये।
  2. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 834 में आवारा पशुओं के कारण आये दिन सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।
  3. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 2195 में प्रदूषण के एक मामले में आयोग के निर्देशानुसार नगर निगम ने बूचड़खाने की बाउण्ड्रीवॉल बनाकर और दुर्गन्धनाशक दवा का इन्तजाम कर आयोग को सूचित किया गया।
  4. परिवाद संख्या— 08 / 17 / 2112 में अतिक्रमण हटाने वाले निगमकर्मियों से अपेक्षा की गई कि वे अतिक्रमण हटाने के अपने अधिकृत कार्य करते समय किसी प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही नहीं करें।
  5. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 1770 में नगर निगम द्वारा मेनहॉल के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया।
  6. परिवाद संख्या— 06 / 17 / 1447 में जयपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों, गन्दगी के ढेर से प्रदूषण और सीधर लाईन की समस्याओं के सम्बन्ध में नगर निगम से स्वास्थ्य सुव्यवस्था के सम्बन्ध में निरन्तर कार्यवाही कर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गये।

7. परिवाद संख्या— 08 / 17 / 3354 में आयोग के निर्देशानुसार नगर निगम ने कचरे के ट्रांस्फर स्टेशन पर कीटनाशक आदि का छिड़काव करवा कर आयोग को सूचित किया।
8. परिवाद संख्या— 09 / 16 / 832 में सदर्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गये।

#### कारागार (जेल) से सम्बन्धित

1. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 210 में महानिदेशक, कारागार को केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में बंदियों के साथ मारपीट होने और जेल में सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनसम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।
2. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 1829 में महानिदेशक (कारागार) व प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग से अपेक्षा की गई कि *The Prisoners (Shortening of Sentences) Rules, 2006* के प्रावधानों के अनुसार आजीवन कारावास की सजा से दंडित बंदियों की शेष सजा माफ कर समय पूर्व रिहा करने के मामले कमेटी के सामने तुरन्त समय पर रखे जाये, जिनका शीघ्र निस्तारण हो सकें।
3. परिवाद संख्या— 09 / 33 / 2886 में प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार से अपेक्षा की गई कि वह जेल में हो रही अवैध वसूली एवं अमानवीय यातनाएँ देने सम्बन्धी शिकायतों की सत्यता की जांच हेतु विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन करने और जेल प्रशासन से सम्बन्धित नीतियों और कार्यप्रणाली में सुधार हेतु नियमानुसार उचित कार्यवाही करेंगे।
4. परिवाद संख्या— 09 / 02 / 606 में आयोग के आदेश की अनुपालना में महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार ने परिपत्र दिनांक 11.12.2010 जारी कर जेल की अव्यवस्थाओं पर ध्यान देकर तुरन्त दुरुस्त करने हेतु निर्देश दिए।
5. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 2532 में जेल परिसर में चल रही गुटबन्दी की रोकथाम और कैदियों की जेल में व पेशी पर ले जाते समय उनकी

- सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम करने हेतु कारागार विभाग को निर्देशित किया गया।
6. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 2847 में महानिदेशक कारागार को निर्देशित किया गया कि किसी भी कैदी के धार्मिक मामलों में संवेदनशीलता बरती जाये, ताकि कोई आहत न हो।
  7. परिवाद संख्या— 09 / 30 / 2875 में सी0जे0एम0 सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार कारागार में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद एक बंदी को समय पर मुहैया न कराने के कारण मृत्यु होने पर महानिदेशक कारागार को वस्तुस्थिति देखकर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
  8. परिवाद संख्या— 10 / 17 / 36 में जेल में बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने और कैदियों के मानव अधिकारों का हनन रोकने के सम्बन्ध में अपने स्तर पर उचित कार्यवाही करने के निर्देश आयोग में उपस्थित आये महानिरीक्षक (जेल) को दिए।

#### चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित

1. परिवाद संख्या—07 / 17 / 2260 में प्रमुख शासन सचिव— चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, प्रधानाचार्य एस0एम0एस0 मेडिकल कॉलेज, अधीक्षक—एस0एम0एस0 हॉस्पीटल व माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से यह अपेक्षा की गई कि अस्पतालों में खराब मशीनों को ठीक करवाने के लिए और मेन्टीनेंस के लिए अलग से बजट का प्रावधान रखने का ध्यान रखा जाये ताकि कागजी कार्यवाही में समय बर्बाद ना हो और मरीजों का समय पर ईलाज हो सकें व फिलहाल खराब पड़ी मशीनों व कलपुर्जों को बदलवाने/ सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही करें।
2. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 2000 में आयोग द्वारा पूर्व में पारित विभिन्न निर्देशों का उल्लेख करते हुए सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में ईलाज, साफ—सफाई, मशीनों व कलपुर्जों, ईलाज के आवश्यक सामान

- की उपलब्धता, प्रत्येक मंजिल पर समान दर पर जीवन रक्षक दवाईयों की उपलब्धता, ब्लड बैंक में खून की उपलब्धता सम्बन्धी पारदर्शिता, पार्किंग आदि की सुव्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव देते हुए अधीक्षक—सवाई मानसिंह चिकित्सालय, मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ—साथ माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से उचित व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई।
3. परिवाद संख्या— 10 / 17 / 153 में एक राजकीय चिकित्सक द्वारा रिश्वत मांगने के मामले में प्रिसिपल एसएमएस कॉलेज को कानूनसम्मत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
  4. परिवाद संख्या— 8 / 24 / 3162 में कोटा शहर की रिहायशी कॉलोनियों सहित पूरे प्रदेश के शहरों में की जा रही स्कूल प्रिंटिंग के कार्य को बंद करवाने हेतु आयुक्त कोटा नगर निगम व सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को निर्देशित किया गया।
  5. परिवाद संख्या— 08 / 17 / 1669 में डाक्टर्स द्वारा अधिक फीस वसूलने, रसीद नहीं देने और अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को कानूनसम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।
  6. परिवाद संख्या— 07 / 17 / 2260 में कैंसर पीडितों के ईलाज से सम्बन्धित मशीनों के खराब होने या पूरी तरह से काम नहीं करने पर पीडितों को होने वाली परेशानी और इन परिस्थितियों में रोगियों को भगवान महावीर कैंसर अस्पताल में रेफर किए जाने के मामले में लम्बे समय तक कार्यवाही नहीं होने पर आयोग ने इसे अधिकारियों की संवेदनशीलता का द्योतक मानते हुए तुरन्त कार्यवाही के निर्देश दिए।
  7. परिवाद संख्या— 9 / 17 / 2000 में आयोग द्वारा दिए गये दिशा—निर्देशों के अनुसार चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) द्वारा विभिन्न मेडिकल/डेंटल कॉलेजों को लिखा गया। इन आदेशों की अनुपालना में अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा द्वारा परिपत्र जारी किया कि डाक्टर्स समय पर उपरिथित रहे, निर्धारित फीस से अधिक वसूल नहीं

- करें,, समय पर राउण्ड लें, अस्पताल में ब्लड की उपलब्धता प्रदर्शित करें, स्टॉफ किसी निश्चित लैब से जांच कराने, दवाईयां लाने हेतु बाध्य न करें, अपने व्यवहार में विनम्रता लाये, आपरेशन थियेटर में उपलब्ध सामान का इन्डेंड रखे और समय पर मोनिटरिंग करें।
8. परिवाद संख्या— 08 / 17 / 1855 में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग से गुर्दा रोगियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क या रियायती दरों पर यात्रा के सम्बन्ध में स्थिति और उनके विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में पूछा गया।
  10. परिवाद संख्या— 08 / 17 / 2353 में कल्याणकारी सरकार से अपेक्षा की गई कि वह आमजन के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखकर तम्बाकु व ऐसे उत्पाद, जिनसे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, के विज्ञापनों/प्रचार माध्यमों पर रोक लगाने की नियमानुसार कार्यवाही करेंगे और इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से भी आपसी सहयोग और सामंजस्य बनाये रखते हुए कानून सम्मत कार्यवाही करना सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गई।
- शिक्षा से सम्बन्धित
1. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 1051 में भीषण गर्भी में भी छोटे स्कूली बच्चों का स्कूल समय नहीं बदलने, उनके बस्ते का बोझ कम नहीं करने, महंगी फीस के बावजूद स्कूल में पीने का स्वच्छ पानी और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराने आदि बातों के सम्बन्ध में पूर्व आदेश की निरन्तरता में प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।
  2. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 1220 में बिना मान्यता प्राप्त कॉलेज में हो रही पढाई के सम्बन्ध में कॉलेज प्रशासन, राज्य सरकार व राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की संवेदनशीलता को देखते हुए सचिव मानव संसाधन विभाग, केन्द्रीय सरकार, नई दिल्ली को सूचित किया गया।

3. माह अक्टूबर 2005 में आयोग ने जवाब चाहा था कि सिर्फ एक दो कमरों में बिना खेल मैदान के स्कूल चलाना वाजिब है? अब परिवाद संख्या 9/17/2560 में सम्बन्धित अधिकारीगण स्कूल प्रशासन, टीचर्स, पेरेन्ट्स, ट्रांस्पोर्ट ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, ट्रेफिक पुलिस एवं सभी सम्बन्धित लोगों के आपसी सहयोग व समन्वय हेतु गंभीरतापूर्वक कदम उठाने व बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संदर्भित मुद्दों को देखकर उचित आवश्यक एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव राजस्थान सरकार व प्रमुख शासन सचिव शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गये।
4. परिवाद संख्या— 09/17/1842 में सेंट एंसलम स्कूल, मानसरोवर से जानकारी चाही कि क्या उनकी संस्था द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में दिए गये दिशा—निर्देशों की अनुपालना में महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण सम्बन्धी शिकायतों के निवारण के लिए किसी कमेटी का गठन किया गया है ?
5. परिवाद संख्या— 08/17/1842 में आयोग के समक्ष विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के उत्पीड़न की आ रही शिकायतों के मद्देनजर पुर्वादेश के निरन्तरता में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड—अजमेर व सीबीएसई—अजमेर, प्रिंसिपल सेकेट्री— प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार तथा सभी शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ए0आई0आर0 1997 (एस0सी0) 3011 में दिए गये निर्देशों की अनुपालना में कमेटी का गठन कर उनका नियमानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।
6. परिवाद संख्या— 09/17/812 में Dean, ICFAI Institute of Science & Technology, Dehradun सहित सभी शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की गई कि वे बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाये, बिना Recognition, बिना बिल्डिंग के प्रोस्पेक्ट्स के माध्यम से विद्यार्थियों को कोर्स ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित कर पढ़ाई शुरू ना करावें, जिससे विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ और मानव अधिकारों का हनन ना हो।

### विविध विभागों से सम्बन्धित

1. परिवाद संख्या— 09/17/141 में नये एवं योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में निर्वाचन विभाग से अपेक्षा की गई।
2. परिवाद संख्या— 08/17/3471 में जिला कलेक्टर, जयपुर को ईट भट्टा मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्य करने के निर्देश दिए गये।
3. परिवाद संख्या— 09/17/1408 में सरपंच द्वारा नियमानुसार कार्य नहीं किए जाने पर जिला कलेक्टर को अतिक्रमण के सम्बन्ध में कानूनसम्मत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।
4. परिवाद संख्या— 03/17/2212 में आयोग के आदेशों की अनुपालना में गृह विभाग ने परिवादी को नियमानुसार आर्थिक सहायता की स्वीकृति जारी कर आयोग को सूचित किया।
5. परिवाद संख्या— 08/06/3222 में आयोग के निर्देशानुसार विद्युत निगम द्वारा परिवादी को क्षतिपूर्ति के 5,16,572/- रूपये स्वीकृत किए जाकर सूचित किया गया।
6. परिवाद संख्या— 08/21/3987 में आयोग के निर्देशानुसार रिटायर्ड कर्मचारी को छठे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन का निर्धारण कर आयोग को सूचित किया गया।
7. परिवाद संख्या— 09/05/224 में परिवादी को पेंशन परिलाभों व पेंशन का भुगतान करवाया जाकर आयोग को सूचित किया गया।
8. परिवाद संख्या— 08/22/2579 में नगर विकास न्यास द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए परिवादी को भूखण्ड आबंटन का निर्णय लिया जाकर सूचित कि गया।
9. परिवाद संख्या— 09/17/1621 में सैन्ट्रल पार्क में प्रातःकालीन भ्रमण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में पेश किए गये परिवाद पर अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गये।

10. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 1356 में अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने ग्रीष्म काल में उचाई पर स्थित मकानों में पानी की सफ्लाई नहीं पहुंचने की दशा में उपभोक्ताओं को टेंकर से पेयजल उपलब्ध करवा कर आयोग को सूचित किया गया।
11. परिवाद संख्या— 08 / 17 / 1827 में बजरी धुलाई संयंत्रों से हो रहे जल दोहन के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर जयपुर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गये।
12. परिवाद संख्या— 09 / 04 / 464 में आयोग के निर्देशानुसार उप शासन सचिव, कार्मिक क (2) विभाग ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अनुकम्पा नियुक्ति देकर आयोग को सूचित किया।
13. परिवाद संख्या— 08 / 25 / 1617 में आयोग के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने पीडिता को 25000/- रुपये की आर्थिक सहायता देकर सूचित किया।
14. परिवाद संख्या— 08 / 21 / 3617 में आयोग के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट, झुझुनु ने पीडिता को 75000/- रुपये की आर्थिक सहायता देकर सूचित किया।
15. परिवाद संख्या— 08 / 05 / 438 में आयोग के निर्देशानुसार निवेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग ने परिवादिया को बकाया ऐरियर का भुगतान कर आयोग को सूचित किया।
16. परिवाद संख्या— 08 / 17 / 2353 में आयोग द्वारा दिए गये दिशा—निर्देशों की अनुपालना में परिवहन विभाग, राजस्थान द्वारा परिवहन निगम की बसों पर तम्बाकू के विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के निर्देश देते हुए आयोग को सूचित किया।
17. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 4014 में आयोग के निर्देश पर जिला कलेक्टर द्वारा परिवादी का नाम मतदाता सूची में जोड़कर आयोग को सूचित किया गया।

18. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 3338 में आयोग के निर्देशानुसार मुख्य अभियन्ता, जन संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिवादी को चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाकर सूचित किया गया।
19. परिवाद संख्या— 09 / 17 / 2443 में आयोग के निर्देशानुसार परिवादी की पेंशन निर्धारित कर सूचित किया गया।
20. परिवाद संख्या— 08 / 25 / 189 में सफाई कर्मचारी थाना— मेडता सिटी का मासिक पारिश्रमिक 75/- रुपये से बढ़ाकर 480/- रुपये किया जाकर आयोग को सूचित किया गया।
21. परिवाद संख्या— 09 / 25 / 2417 में बलात्कार पीडिता के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 100,000/- रुपये स्वीकृत करवा कर व उसमें से 50000/- रुपये तुरन्त देकर आयोग को सूचित किया गया।

### **आयोग की वेबसाईट व सूचना का अधिकार अधिनियम 2006 के तहत की गई कार्यवाही**

आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगणों का परिचय तथा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आयोग का संगठनात्मक ढांचा, स्वीकृत पदों का विवरण, कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण, आबंटित बजट एवं व्यय तथा कार्यवाही की प्रक्रिया का विवरण यूजर्स गाइड में आयोग की वेबसाईट [www.rshrc.nic.in](http://www.rshrc.nic.in) पर उपलब्ध है।

### **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी अधिकारी :-**

1. उप पंजीयक — सहायक लोक सूचना अधिकारी
2. उप सचिव — लोक सूचना अधिकारी
3. सचिव — विभागीय अपीलान्ट ऑथोरिटी

दिनांक— 1.4.2009 से 31.3.2010 तक सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 66 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनका सहायक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निस्तारण किया गया। जिनमें से 2 प्रथम अपील में निर्णीत हुई और 2 द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन हैं।

आयोग के आदेश दिनांक— 31.7.2009 की पालना में चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग की रिपोर्ट 31.8.2009 व सवाई मानसिंह अस्पताल की रिपोर्ट दिनांक— 3.9.2009 का अवलोकन किया गया व उपस्थित परिवादी बसन्त हरियाणा को भी सुना गया।

एस0एम0एस0 से प्राप्त रिपोर्ट के पैरा—1 लगायत 9 में बताया है कि (पैरा—1).... राज्य सरकार द्वारा चिकित्सकों के घर परामर्श हेतु निर्धारित शुल्क की दर तय की हुई है व निजी प्रेक्टिस पर रोक लगाने का प्रकरण राज्य सरकार के स्तर से लिया जाता है। (पैरा—2) ..... चिकित्सालय में 24 घण्टे ब्लड उपलब्ध कराने की सुविधा रहती है। (पैरा—3)..... चिकित्सक या नर्सिंग स्टाफ किसी निश्चित लैब से जांच कराने या दवाईया लाने के लिए नहीं कहते और ऐसी शिकायत पर कार्यवाही/स्थानांतरण किये जाते हैं। रिपोर्ट (पैरा—4).....में यह भी बताया है कि अस्पताल में स्ट्रेचर की कोई कमी नहीं है और यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। (पैरा—5) .....चिकित्सालयकर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार की शिकायतों पर कार्यवाही की जाती है। (पैरा—6)..... आपरेशन से पहले ही मरीज के परिजनों को सम्बन्धित आवश्यक दवाईयों के बारे में जानकारी दे दी जाती है। रिपोर्ट (पैरा—7) .... के अनुसार आई0सी0यू0 में कार्यरत स्टाफ के लिए पृथक से स्लीपर और मास्क उपलब्ध कराये जाते हैं। (पैरा—8) ...अस्पताल परिसर में पार्किंग व्यवस्था ठीक है। (पैरा—9) .... शौचालय अथवा पीने के पानी की व्यवस्था निजी एजेंसी द्वारा करवाया जाता है।

*Health is a Human Right* और एक कल्याणकारी राज्य के लिए यह जरूरी भी है कि वह हर नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये। साथ ही, ग्राउण्ड रियलिटीज को देखकर आपसी सहयोग से समस्याओं का निराकरण किया जाये, यह जिम्मेदारी प्रशासन के साथ—साथ सरकार भी है। इसलिए आयोग यह अपेक्षा करता है कि :—

1. अस्तपाल में डाक्टर्स समय पर उपस्थित रहे।
2. ब्लड बैंक में उपलब्ध ब्लड की गुपवाइज यूनिट का वर्णन सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित रहे, तो पारदर्शिता के साथ—साथ मरीजों को अधिक सुविधा होगी।

3. चिकित्सक व नर्सिंग स्टॉफ अटेंडेंट को किसी निश्चित लैब से जांच कराने अथवा दवाई लाने हेतु बाध्य नहीं करें।
4. यह अस्पताल प्रशासन का दायित्व है कि लाईफ सेविंग मेडिसिन अस्पताल की हर मंजिल पर किफायती और एक जैसे दामों पर उपलब्ध करायें।
5. यह सही है कि चिकित्सक व नर्सिंगकर्मी लैब में या ऑपरेशन थियेटर में जूते—चप्पल खोल कर ही प्रवेश करते हैं। फिर भी ऐसी प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये कि जिससे मरीजों में इन्फेक्शन की संभावना नहीं रहे।
6. कर्मचारी यद्यपि सेवाभाव से कार्य करते हैं, फिर भी उनके व्यवहार में विनम्रता लाने हेतु समय—समय पर दिशा—निर्देश जारी किए जायें।
7. आपरेशन हेतु सामान्य सामग्री जैसे— कॉटन, बैंडेज, कटर, डिटोल, ग्लूकोज की बोतलें, जीवन रक्षक दवायें और इन्जेक्शन, एनेस्थीसिया सामग्री आदि आमतौर पर ऑपरेशन थियेटर में ही उपलब्ध होती है। इसके बावजूद अस्पतालकर्मियों द्वारा इनका उपलब्ध ना होना बताकर यह सामग्री बाहर से मंगवाते हैं। इसलिए अपेक्षा की जाती है कि ऐसी सामग्री का सुव्यस्थित इन्डेंड रखा जाये और सामग्री की उपलब्धता की समय—समय पर चैकिंग व मोनिटरिंग करवाते रहे।
8. जनहित में पार्किंग शुल्क को और न्यायसंगत करने और ठेकेदारों द्वारा अभद्र व्यवहार की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें।
9. सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु ठेकेदारों व कर्मचारियों पर सुपरविजन हेतु सक्षम अधिकारी को नियुक्त किया जाये और उनके काम को आकंने का कोई मापदण्ड स्थापित किया जाये।

अस्पताल की सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए आम नागरिकों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे अस्पताल परिसर में शांति व्यवस्था कायम रखें, साफ—सफाई, धूप्रपान रोकने और पान—गुटका नहीं थूकने जैसे अपने कर्तव्यों का पालन करें क्योंकि सवाई मानसिंह अस्पताल राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें न केवल राजस्थान से बल्कि पड़ोसी राज्यों के भी मरीज बड़ी संख्या में ईलाज के लिए आते हैं।

उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा विभिन्न परिवादों में समय—समय पर अस्पताल में सुव्यवस्था के निर्देश दिए हैं, जिनमें से कुछ निम्न है :—

1. परिवाद संख्या— 07 / 17 / 2260 में सोर्स के अभाव में कैंसर मरीजों के ईलाज में हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में ।
2. परिवाद संख्या— 08 / 17 / 1669 में चिकित्सक द्वारा मरीजों से अधिक फीस वसूलने, रसीद नहीं देने और अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में ।
3. परिवाद संख्या— 08 / 17 / 1193 में वी.सी.टी.टी., पी.पी.टी.सी. व ब्लड बैंक में सलाहकार व लैब टेक्निशियन की समस्याओं के बारे में ।
4. परिवाद संख्या— 07 / 17 / 1516 में मरीजों के ईलाज के मामलों में अनावश्यक कागजी कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में ।
5. परिवाद संख्या— 05 / 17 / 3038 व 05 / 01 / 3234 में एड्स की रोकथाम के लिए किए गये प्रचार—प्रसार व ईलाज की सुविधा से एड्स के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई या कमी के सम्बन्ध में?
6. परिवाद संख्या—08 / 17 / 1819 में रेजिडेन्ट डाक्टर्स द्वारा दिनांक 8.6. 2008 को की गई हड्डताल के सम्बन्ध में जयपुर एसोसियेशन ऑफ रेजिडेन्ट डाक्टर्स को अपंजीकृत संगठन एवं *Legal Entity* और *Locus Standi* के अभाव में *Null & Void* होना पाये जाने पर हड्डताल के लिए कथित एसोसियेशन के अध्यक्ष/पदाधिकारियों को उत्तरदायी मानते हुए रेजीडेन्ट डाक्टर्स को आत्मचिंतन करने के निर्देश के साथ—साथ, मेडिकल कॉलेज प्रशासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में।
7. परिवाद संख्या—08 / 17 / 2927 में एस0एम.एस.एच0 लेब में उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरणों के संचालन एवं देखभाल के सम्बन्ध में।
8. परिवाद संख्या—08 / 17 / 1542 में हैड द्वारा लेट राउण्ड लेने से मरीज की एक डोज मिस होने जैसी स्थिति को देखते हुए सम्बन्धित डाक्टर्स

से अपेक्षा की गई कि वे ओ.टी. एवं ओ.पी.डी. के दिनों को छोड़कर समय पर राउण्ड ले, जिससे परिजनों के मिलने के समय किसी प्रकार की असुविधा ना हो।

9. परिवाद संख्या— 07 / 17 / 2260 में अपेक्षा की गई कि अस्पताल में खराब पड़ी मशीनों को ठीक करवाने और मेंटीनेंस के लिए अलग से बजट प्रावधान का ध्यान रखा जाये ताकि मरीजों का समय पर ईलाज संभव हो व फिलहाल खराब पड़ी मशीनों के कलपुर्ज बदलवाने और सामग्री उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में हालांकि अस्तपाल प्रशासन ने प्रभावी कदम उठाना बताया है। परन्तु वास्तव में अस्पताल की विभिन्न ईकाईयों की विभिन्न मशीनें ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही या लाईसेंस की प्रक्रिया की वजह से लाखों—करोड़ों रूपयों की मशीनों का समय पर सुदपयोग नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार मरीजों के परीक्षण व ईलाज में जो डिले हो रहा है, वह प्रथम दृष्टया असंवेदनशीलता दर्शाता है, जो राज्य सरकार की सुशासन देने की मंशा के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार उक्त तथ्यों से यह साफ जाहिर है कि अस्पताल की सुव्यवस्था में अभी आपसी तालमेल और सभी के सहयोग से सुधार की काफी गुंजाइश है।

अतः राज्य सरकार व अस्पताल प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप सुधारात्मक कदम उठाकर आयोग को दो माह में सूचित करेंगे।

परिवाद का इसी प्रकार निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति मुख्य सचिव व प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग—राजस्थान, जयपुर, अधीक्षक—सवाई मान सिंह अस्पताल व परिवादी के साथ—साथ माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री—राजस्थान सरकार को भेजकर सूचित किया जाये, जिससे वे आमजन के हित में दिशा—निर्देश दे सकें।

विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं / एन.जी.ओ. द्वारा आयोजित मानव अधिकारों की जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों में आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा शिरकत की गई, जिनमें से कुछ निम्नांकित हैं:-

1. दिनांक— 08 अप्रैल 2009 रेयान इन्टरनेशनल स्कूल के Montessori Graduation Ceremony 2009 में मिसेज अर्चना गुप्ता, अध्यापकगण, छात्र-छात्राओं, अभिभावकों आदि के साथ
2. दिनांक 26 अप्रैल 2009 को जयपुर पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या शकुन' में सर्वश्री कर्नल एन०के०शर्मा (रिटायर्ड)– डायरेक्टर, जी०के० सिद्धा 'प्रज्ञ' –सचिव, डा० जयश्री' प्रिंसिपल, छात्र-छात्राओं, अभिभावकों आदि के साथ।
3. दिनांक 14 से 16 मई 2009 को भरतपुर–श्रीमहावीरजी यात्रा के दौरान श्री विश्वेश कुमार— जेल सुपरीटेंडेंट (भरतपुर) व समाज कल्याण अधिकारी—भरतपुर के साथ।
4. दिनांक— 7.6.2009 को दिग्म्बर जैन सोश्यल ग्रुप फेडरेशन के कार्यक्रम व घरेलू हिंसा की समन्वय समिति, पोस्टर विमोचन में श्री महेन्द्र पाटनी, श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री नवीन सैन व सदस्यों के साथ।
5. दिनांक— 15.6.2009 को इण्डियन जेरेन्टोलॉजिकल ऐसोसियेशन द्वारा बुजुर्ग उत्पीड़न दिवस पर जनजागरूकता कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री रामकिशोर सैनी, राजाराम मील, श्री सत्यनारायण सिंह, डा० भटनागर, सचिव के०एल० शर्मा, गणमान्य वरिष्ठ नागरिक व ऐसोसियेशन के सदस्य आदि के साथ।
6. दिनांक— 21.6.2009 को मुनिश्री विनय कुमार आलोक के सानिध्य में आचार्य श्री महाप्रज्ञजी के 90वें जन्मकल्याण दिवस पर डा० एन०के०जैन, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, मुख्य सचेतक, श्री आर पी जैन, जस्टिस इसरानी, जस्टिस चौपडा, जस्टिस पानाचन्द जैन, श्री चन्दनमल बैद, अध्यक्ष श्री बच्छराम नाहटा, श्री हिम्मत सिंह छाजेड व श्रेष्ठीजन आदि के साथ।

7. दिनांक— 26.6.2009 को 5<sup>th</sup> International Summer School for Jain Studies Centre में USA, Canada, U.K., Belgium, Spain, Switzerland, से पधारे प्रतिभागी, डाक्टर्स, प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर्स व निदेशक, उपनिदेशक, डा० सुगनचन्द जैन, डा० कमलचन्द सोगानी आदि के साथ।
8. दिनांक 5 जुलाई, 2009 को दिग्म्बर जैन महासमिति द्वारा दिल्ली में "Seminar of Intelligentsia" आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जैन, अखिल कुमार जैन महासचिव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एस.के जैन चैयरमैन भारतीय नाभकीय विद्युत निगम लि. व न्यूक्लीयर पावर कार्पोरे, भारत सरकार, जीवेन्द्र जैन, प्रमोद जैन, चैयरमैन जे०सी० जैन, जवाहर जैन, महेन्द्र पाटनी विभिन्न राज्यों के पूर्व अध्यक्ष एवं अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, श्रीमती सिम्मी जैन, एन.के जैन आई.पी.एस हेमन्त भाई, पुनीत जैन, प्रवीण जैन, सुरेश जैन, सुशील सोलंकी व अन्य उपस्थित महानुभावों के साथ।
9. दिनांक 18 व 19 जुलाई, 2009 को जैन तीर्थ श्री दिग्म्बर जैन सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट, जिला—खण्डवा, इन्दौर [मध्यप्रदेश] में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जैन, कार्याध्यक्ष व संयोजक हुकमचन्द जैन शाहबजाज, जीतेन्द्र जैन, प्रमोद जैन, हंसमुख जैन गांधी राजकुमार कासलीवाल व अन्य उपस्थित महानुभावों के साथ।
10. दिनांक 3 अगस्त, 2009 को मण्डोर [जोधपुर] में आयोजित एक कार्यक्रम में सर्वश्री एस.पी.सिंह भण्डारी, डी०आर० मेहता, प्रेम भण्डारी व अन्य उपस्थित महानुभावों के साथ।
11. दिनांक 6 अगस्त, 2009 को राजस्थान पत्रिका के *Patrika in Education (PIE)* कार्यक्रम में संकल्प फेडरिक, आर०सी०जैन, बेला जोशी, छात्र-छात्राओं व उपस्थित महानुभावों के साथ।
12. दिनांक 5 अगस्त, 2009 को पयूषण पर्व पर अध्यक्ष पयोनिधि कासलीवाल, महावीर नगर जैन समाज के अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारीगण व अन्य उपस्थित महानुभावों के साथ।

13. दिनांक 8 व 9 अगस्त, 2009 अधिवक्ता परिषद, राजस्थान, बीकानेर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव भूपेन्द्र यादव, अध्यक्ष अनिल राजवंशी, सचिव बसंत छाबा, पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह राजपुरोहित, नरपतमल लोड़ा, कैलाश नाथ भट्ट, बृजकिशोर शर्मा, मुकेश आचार्य, श्यामसुन्दर लदरेचा, गुमानसिंह लूणिया, प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी, पदाधिकारीगण, विभिन्न ईकाईयों के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष, सदस्यगण व उपस्थित महानुभावों के साथ ।
14. दिनांक 5 सितम्बर, 2009 को अनुब्रत उद्बोधन सप्ताह व “अनुशासन दिवस” पर साधी संघमित्रा के सानिध्य में अध्यक्ष जी0एल0 नाहर, दफतरी साहब, डा० नरेन्द्र शर्मा, डा० सिद्धा, श्री पंचशील, छात्र-छात्राओं व अन्य उपस्थित महानुभावों के साथ ।
15. दिनांक 6 सितम्बर, 2009 को क्षमावाणी पर्व पर आयोजित एक कार्यक्रम में माननीय सांसद श्री महेश जोशी, राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारीगण व अन्य सदस्यगण के साथ ।
16. दिनांक 8 सितम्बर, 2009 को ओ0टी0एस जयपुर में आयोजित Workshop of Human Rights Education में डा० जयश्री चन्द्रा, उपस्थित डेलिगेट्स व अन्य महानुभावों के साथ
17. दिनांक 9 सितम्बर, 2009 स्वतंत्रता सेनानी महासंघ व थियोसोफिकल लॉज द्वारा स्व0 श्री अर्जुनलाल सेठी की जन्मतिथि पर सर्वश्री राजीव अरोड़ा, बम्ब साहब, धूत साहब, ताराचन्द बरखी, उपस्थित स्वतंत्रता सेनानी व परिजनों के साथ ।
18. दिनांक 28 सितम्बर, 2009 को श्री गणेशमल बैद राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, रत्नगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आचार्य श्री महाप्रज्ञ के शिष्य मुनि श्री राजकरण जी के सानिध्य में जनाब रफीक मंडेलिया, समणी मंगलप्रज्ञा जी— वाईस चांसलर जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय लाडनूं विधायक राजकुमार रिणंवा, संतोष कुमार इंदोरिया, लूणकरण बैद, बाबूलाल जी, डालचन्द जी, संबल संस्थान के अध्यक्ष

- संतोष सेठिया, सचिव पदाधिकारी, अधिकारीगण, विद्यार्थीगण व अन्य उपस्थित महानुभावों के साथ ।
19. दिनांक— 1 अक्टूबर 2009 को Help Age India द्वारा International Day for Older Persons कार्यक्रम में हेल्प ऐज के स्टेट रिप्रजेन्टेटिव राजकिशोर,, रेयान इन्टरनेशनल स्कूल की प्राचार्या मैडम सरिता कटियार,, शिक्षकगण, छात्र-छात्राओं व उपस्थित वृद्ध, अस्वस्थ महानुभावों के साथ ।
20. दिनांक— 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर युवा मामले एवं खेल विभाग एवं राज्य कीड़ा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख शासन सचिव श्री ललित के पंवार, अध्यक्ष बी बी मोहन्ती, सचिव श्री भट्टनागर,, ओलम्पियन गोपाल सैनी, माननीय सांसद श्री सत्यब्रत चतुर्वेदी, एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री रामेश्वर चौधरी, मैडम रेनू सिंह, डिसऐबल्ड प्रतिभागियों व अन्य प्रबुद्ध महानुभावों के साथ ।
21. दिनांक— 28 अक्टूबर 2009 को जगन्नाथ विश्वविद्यालय, चाकसू में Relevance and Role of Law for Protecting Human Rights विषय पर आयोजित गोष्ठी में यूनिवर्सिटी के डीन/ डायरेक्टर स्कूल ऑफ लॉ डा० गुरशरण वरनदानी, डा० महेन्द्र तिवाडी, लेक्चरर्स, एवं छात्र-छात्राओं के साथ ।
22. दिनांक— 29 अक्टूबर 2009 को Amity University Rajasthan Jaipur द्वारा Human Rights & Duties विषय पर आयोजित गोष्ठी में वाइस चांसलर पदमश्री प्र० राजपाल एस सिरोही व प्र० डा० राजमल डूंगावत लेक्चरर्स, एवं छात्र-छात्राओं के साथ ।
23. दिनांक— 7 नवम्बर 2009 को भगवान महावीर कैंसर हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर जयपुर द्वारा Cancer Awareness Day पर आयोजित निःशुल्क जांच शिविर और प्रदर्शनी में संस्था के कार्यकारी

- निदेशक, डा० सेठी, डा० पाटनी, ट्रस्टीज, कैंसर पेशेन्ट्स व जयपुर के अन्य प्रबुद्ध नागरिकों के साथ।
24. दिनांक— 6 दिसम्बर 2009 को सोशल सिक्यूरिटी फाउंडेशन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन निवारण में कठिनाईयां एवं सुधार विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में सर्वश्री एम.पी. फतेहपुरिया, विमल सुराणा, त्रिलोकी दास खण्डेलवाल, एन०एम० रांका, डी०पी० शर्मा, डी०सी० गुप्ता, विभिन्न वरिष्ठ संस्थाओं के प्रतिनिधियों व अन्य प्रबुद्ध नागरिकों के साथ।
25. दिनांक— 9 दिसम्बर 2009 को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा *Workshop on “Human Rights Protection”* विषय पर आयोजित पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व ट्रेनर्स के साथ।
26. दिनांक— 22 दिसम्बर 2009 को *MAMTA Health Institute for Mother & Child meeting on Prohibition of Child Marriage Act, 2006* में संस्था की डायरेक्टर अंजलि सखुजा, प्रोग्राम मैनेजर रत्ना गायकवाड, डा० सरिता सिंह— कमिशनर महिला एवं बाल विभाग, मैडम फैंसेस्का बरोलो, रीजनल मैनेजर, व अन्य महानुभावों के साथ।
27. दिनांक— 22 दिसम्बर 2009 को *Positive Women Network of Rajasthan* द्वारा आयोजित *Public Hearing on Rights of Women Living with HIV/AIDS* पर संस्था की प्रेसिडेंट मुकेश कुमारी व सुशीला, जस्टिस पानाचन्द जैन, जस्टिस एस०एन० भार्गव, श्री एस०एन० सिंह, आईएएस (रिटा०), मैडम कविता श्रीवास्तव (पीयूसीएल), श्री जी०एस० संधू— प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, डा० सरिता सिंह— कमिशनर महिला एवं बाल विभाग, मैडम प्रियंवदा सिंह, डा० पवन सुराणा, सामाजिक न्याय विभाग के अति० निदेशक, मैडम श्रुति भारद्वाज (आरएएस), मैडम पिंकल कंवर, नेटवर्क के मेम्बर्स एवं एचआईवी पीडित महिलाएँ व अन्य महानुभावों के साथ।

28. दिनांक— 03.01.2010 को *Progressive Muslim Social Circle* द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पैटरन जस्टिस मोहम्मद यामीन, अध्यक्ष ए०आर० खान, के०एल० जैन (चैम्बर ऑफ कार्मस), सचिव मोहम्मद शमीम अन्य पदाधिकारियों, सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली महिलाओं व अन्य उपस्थित महानुभावों के साथ।
29. दिनांक— 09.01.2010 को *19<sup>th</sup> Blinds’ Music Competition 2010* के *Elimination Round* में श्रीनथमल निर्मल कुमार गंगवाल (आसाम होटल), श्रीमती वन्दना जैन (समाज सेविका), रुकमणी जैन (अध्यक्षा, श्याम नगर दिग्म्बर जैन महिला मण्डल), विभिन्न प्रतियोगी, श्रोतागण व अन्य महानुभावों के साथ।
30. दिनांक— 12 जनवरी 2010 को भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन०जी०ओ० तिहाड जेल) नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्री सी.आर. गर्ग (डीआईजी), संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी, डा० आर०बी० सोलंकी, वी०के० मित्तल, मैडम रीता वाची व अन्य पदाधिकारीगण, सम्मानित प्रबुद्ध शिक्षाविद् व अन्य कैंदियों के साथ।
31. दिनांक— 26 जनवरी 2010 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री दिग्म्बर जैन आदर्श महिला संस्कृत महाविद्यालय श्रीमहावीरजी आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्री सोहनलाल सेठी (अध्यक्ष), सुमेर चन्द जैन (मंत्री), प्राचार्य रामचरण जी मंधान नरेन्द्र कुमार जैन, संजय, अन्य ट्रस्टीगण, पदाधिकारीगण, छात्राओं, अभिभावकों व उपस्थित महानुभावों के साथ।
32. दिनांक— 27 जनवरी 2010 को महारानी कॉलेज में आयोजित Inter Collegiates Debate Competition में जयपुर प्रिंसिपल डा० कुसुम जैन, उपस्थित शिक्षकगण, व विभिन्न कॉलेजों की छात्राओं के साथ।
33. दिनांक— 28.1.2010 को भारतीय विद्या भवन में आयोजित कार्यक्रम में

- आयोजित 25<sup>th</sup> Annual Celebration Day में सर्वश्री विमल जी सुराणा, जस्टिस पानाचन्द जैन, डायरेक्टर आर0 सी0 जैन, मिसेज गोलेछा, बत्रा साहब, प्रिंसिपल मैडम, अन्य ट्रस्टीगण व उपस्थित अन्य महानुभावों के साथ।
34. दिनांक' 8 फरवरी 2010 को भगवान महावीर कैंसर हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में कैंसर केयर की संरक्षिका माननीया मैडम सुनीता गहलोत, महापौर श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल, महारानी पद्मिनी देवी, फिल्म अभिनेता तुषार कपूर, चेयरपर्सन मैडम अनिला कोठारी, नरोत्तम मल जी कोठारी, मैडम अनिला कोठारी, कर्नल चतुर्वेदी व अन्य पदाधिकारीगण व अन्य महानुभावों के साथ।
35. दिनांक 9 फरवरी 2010 को 'कोशिश' संस्था व जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मैडम शशि कपूर (अध्यक्ष), सुषमा गोविल (उपाध्यक्ष), कमल पनगड़िया (सचिव), व अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के साथ।
36. दिनांक— 11.2.2010 को श्रीमती धन्नी देवी सेठिया धार्मिक भवन, नोखा के लोकार्पण समारोह में श्री सुन्दरलाल दुगड़ (अध्यक्ष श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ), श्री कन्हैयालाल झंवर (विधायक, नोखा), नेमचन्द जी खजांची, कमल चन्द जी सिंपानी, श्रीनिवास झंवर, कुसुम कुमार सेठिया, चेतन प्रकाश सेठिया (अध्यक्ष), सुन्दरलाल बोथरा, दुलीचन्द चोरड़िया, ईश्वरचन्द बैद, राजेश कुमार डागा, अशोक कुमार डागा, न्यासीगण व उपस्थित महानुभावों के साथ।
37. दिनांक— 13.2.2010 को राजस्थान पेंशनर समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष दिनेशचन्द गुप्ता, मंत्री राधेशरण माथुर,, उपाध्यक्ष बसन्तीलाल छाबडा, संगठन मंत्री श्रीपाल जैन व अन्य वरिष्ठ नागरिकों के साथ।

38. दिनांक— 21.2.2010 को सन्तोकबा दुर्लभ जी अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में श्री त्रिलोकीनाथ खण्डेलवाल, श्री डी0सी0 गुप्ता, व अन्य वरिष्ठ नागरिकों के साथ।
39. दिनांक— 25 फरवरी 2010 को स्टेट फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसियेशन, भीलवाडा द्वारा आयोजित 'नागरिकों के मानवाधिकार और कर्तव्य' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में जनरल सेकेट्री श्री श्याम बनवाडी
40. दिनांक— 6 मार्च 2010 को दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर व *Institute of Para Legal Studies, Ahemadabad* द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'न्याय उपलब्ध कराने में पैरा लीगल्स की भूमिका' में न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भण्डारी, इंस्टीट्यूट की मैडम नुपुर सिन्हा,, श्री पी0एल0 मीमरोठ, श्री आर0 के0 आकोदिया, व राज्य भर से आये करीब 60 प्रतिनिधियों के साथ।
41. दिनांक— 16 मार्च 2010 को डिपार्टमेन्ट ऑफ लॉ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में प्रो0 यू0सी0 सांखला, प्रो0 करकरा, डा0 एस0पी0एस0 शेखावत, केरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एचओडी श्री के0सी0 सुन्नी, अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्ति एवं लॉ कॉलेज के छात्राओं के साथ।
42. दिनांक— 22 मार्च 2010 को टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के 11 प्रतिनिधियों के साथ चर्चा।
43. दिनांक— 27 मार्च 2010 को जैन सोश्यल ग्रुप महानगर 'अहिंसा व जन चेतना रैली' में माननीय मंत्री अशोक बैरवा, संजय बापना, राजराम मील, मेयर, विधायक, वकील बंधु व सन्त कुमार संयोजक सिद्धार्थ, प्रदीप व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ।
44. भीलवाडा में जिला स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक वाक्‌पीठ के 240 प्रधानाध्यापकों/शिक्षकगणों व जिला शिक्षा अधिकारी श्री सत्यनारायण पारीक एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ।

45. हिन्दी तिथि 9 मई 2010 को प्रताप जयंती के अवसर पर हल्दीघाटी संग्रहालय के सौजन्य से आयोजित 'मानवाधिकार रक्षा का संकल्प' कार्यक्रम में संग्रहालय के श्री मोहनश्रीमाली, जिला प्रमुख— श्रीकिशन, श्री रामकृष्ण गोस्वामी (भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान), विभिन्न जेल अधीक्षकगण व उपाधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश चन्द्र खण्डेलवाल, शिक्षाविद् महिपाल सिंह राठौड़, समाज सेवी राजकुलदीपसिंह, व डा. सुशील साहू व अन्य व्यक्तियों के साथ।
46. दिनांक— 14 मई 2010 को कैंसर पीडितों के ईलाज व समस्या पर विचार विमर्श में भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर के सर्वश्री नवरत्न जी कोठारी, मैडम अनिला कोठारी, जस्टिस पानाचन्द जैन, विमल सुराणा, डा० टी.पी. जैन, डा० ओंकार सक्सेना, डा० कोठारी, श्री के.एल. शर्मा, डा० कर्नल आर.के. चतुर्वेदी व कैंसर पीडितों व अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के साथ।
47. दिनांक— 29 मई 2010 को जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी के दसवें वार्षिक समारोह—2010 में माननीय न्यायाधिपति एम०एन० भंडारी, सोसायटी के पदाधिकारीगण, कैंसर पीडितों व अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के साथ।
48. दिनांक— 12 जून 2010 को 'वयस्क विकलांग औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र' के दीक्षान्त समारोह में भारतीय समाज कल्याण परिषद् के अध्यक्ष श्री ज्ञानचन्द कोठारी मानद सचिव, ज्ञानचन्द जैन 'ज्ञांझरी', श्री के. एम. सहाय, मिसेज सहाय, मिसेज कोठारी व पदाधिकारी, हैल्पेज इण्डिया तथा ज्योति माहेश्वरी एजुकेशन संस्थान के पदाधिकारियों, प्रशिक्षणार्थियों व वरिष्ठ नागरिक बंधुओं के साथ।

49. दिनांक— 15 जून 2010 को World Elder Abuse Awareness Day पर 'हेल्प एज इण्डिया' और सोश्यल सिक्यूरिटी फाउंडेशन के सौजन्य से विद्याश्रम में आयोजित कार्यक्रम में श्री अजीत सिंह— अति० महानिदेशक पुलिस, हैल्प एज के स्टेट हैड हरजीत कुमार सिंह, रेणू सिंह, त्रिलोकीनाथ खण्डेलवाल, कौशल किशोर जैन, वरिष्ठ नागरिक बंधुओं व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ।
50. दिनांक— 19 जून 2010 को 6<sup>th</sup> International Summer School of Jain Studies नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देश—विदेश से आये प्रोफेसर्स, स्कोलर्स व डेलिगेट्स मेडम शिवानी व डा० कोमलचन्द सोगानी के साथ।
51. दिनांक 26.6.2010 को मानवाधिकार व पुलिस पर राज. पुलिस एकडेमी में आयोजित गोष्ठी में D.G.P. हरीशचन्द्र मीणा, Addl. D.G.P. प्रदीप व्यास, D.G.P. हरीचन्द्र मीणा, पूर्व D.G.P. अमिताभ गुप्ता, मोरिस बाबू (आई. जी. मानवाधिकार पुलिस), वरिष्ठ पत्रकार ईश मधुतलवार, श्याम आचार्य, एडवोकेट फारुकी, कविता श्रीवास्तव, Sr. ऑफिसर्स, एकडेमी के डायरेक्टर, अन्य पुलिस अधिकारी, C.L.C. व शान्ति समिति के सदस्य, गणमान्य नागरिकबन्धु के साथ।

"It has always been a mystery to me how men can feel themselves honoured by humiliation of their fellow beings."

"There is a higher court than the court of justice and that is the court of consciousness. It supersedes all other courts"

- Mahatma Gandhi

अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसम्बर 2009 पर मानव अधिकारों के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नांकित कार्यक्रमों में शिरकत की गई :-

1. All India Human Rights Association (AIHRA) द्वारा बिडला आडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री एम० यू० दुआ, सेकेट्री जनरल एच०एस० तंवर, स्टेट पैट्रन श्री ओमप्रकाश मोदी एवं बजरंग लाल खेतान, स्टेट कॉर्डिनेटर श्री अनिल शर्मा, जस्टिस एन०एल० टिबरेवाल, जस्टिस एस०एन० भार्गव, देश-विदेश से आये प्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों को मानवाधिकार विषयों पर सम्बोधित किया।
2. एस०एस० जैन सुबोध स्कूल द्वारा आयोजित 1000 छात्र-छात्राओं की रैली को हरी झण्डी दिखाकर गांधी सर्किल व अम्बेडकर सर्किल की ओर रवाना किया। इस आयोजन पर स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती बेला जोशी, डा० संजय पाराशार व अन्य प्राध्यापक आदि भी उपस्थित थे।
3. अग्रवाल बी. एड० कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने कविता, नाट्य मंचन, पोपेट शो आदि के द्वारा मानवाधिकार का प्रचार-प्रचार किया। कार्यक्रम के दौरान महापौर श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल, शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रेमनारायण गुप्ता, महासचिव आलोक फतेहपुरिया, उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, प्रिंसिपल डा० साधना गोदिका के साथ मानवाधिकारों पर चर्चा की गई।
4. गीता बजाज बी.एड० महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आयोग के माननीय अध्यक्ष ने अध्यक्षता की। जहां संस्था के चैयरमैन राजकुमार काला, संयुक्त सचिव नागरचन्द शर्मा, प्रिंसिपल संध्या अग्रवाल, राजस्थान पत्रिका के एडिटर (रीडर्स) आनन्द जोशी, अन्य प्राध्यापकों व छात्र-छात्राओं के साथ मानवाधिकार विषयों पर चर्चा की।

5. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग व ओटीएस के सौजन्य से आयोजित Training of Trainers for Human Rights में प्रोग्राम डायरेक्टर आर०के० चौबीसा व 27 प्रतिभागियों के साथ मानवाधिकारों पर चर्चा की गई।
6. सीनीयर सिटीजन फोरम में आयोजित कार्यक्रम में फोरम के प्रेसीडेंट डी०पी० शर्मा, सचिव के०के० छंटानी, मैडम प्रेरणा अरोड़ा (पीपुल्स ट्रस्ट) व अन्य वरिष्ठ नागरिकों के साथ मानवाधिकार विषयों पर चर्चा की।

माननीय सदस्य जस्टिस जगत सिंह व श्री पुखराज सिरवी ने क्रमशः श्री गंगानगर एवं बीकानेर जिला मुख्यालय के कार्यक्रमों में शिरकत की।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली एवं हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान एवं राजस्थान पुलिस एके डमी-जयपुर के सहयोग से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम :-

1. दिनांक— 20.11.2009 को **Gender Sesitization under Human Rights** विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 12 फेकल्टी मेम्बर्स/रिसोर्स पर्सन्स— महामहिम राज्यपाल की अति० मुख्य सचिव श्रीमती मीनाक्षी हूजा, जयपुर रेंज प्रथम के महानिरीक्षक (पुलिस) श्री बी.एल. सोनी, प्रो. लाडकुमारी जैन, प्रो० जी.एस.करकरा, एमिटी यूनिवर्सिटी के डा० राजमल ढूंगावत, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के डा० महेन्द्र तिवाडी एवं पहल पीपुल्स ट्रस्ट की मैडम प्रेरणा सिंह व आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण तथा आई०जी (पुलिस) ने 58 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम में आयोग द्वारा विभिन्न विषयों पर तैयार सी०डी० भी प्रदर्शित की गई।
2. दिनांक 3 व 4 दिसम्बर 2009 को **Child Rights and Child Protection** विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 22 फेकल्टी

मेम्बर्स/ रिसोर्स पर्सन्स— जस्टिस वी.एस.दवे, जस्टिस एस.एन. भार्गव, जस्टिस वाई.आर. मीणा, पूर्व राज्यपाल जस्टिस अंशुमान सिंह, जस्टिस करणी सिंह राठौड़, राज्य के महाधिवक्ता श्री जी.एस. बाफना, यूनिसेफ की शिखा बधवा, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अल्का काला, प्रमुख शासन सचिव मालोविका पंवार, सामाजिक न्याय विभाग के भागीरथ चौधरी, लॉ कॉलेज के डा० एच०एम० मित्तल, मनोचिकित्सक डा० ललित बत्रा, 'प्रथम राजस्थान' संस्था के विजय सिंह शेखावत, डा० ओ. पी.शर्मा— रिटा० जिला न्यायाधीश, मैडम ज्योत्सना राजवंशी, प्रयास संस्था की मैडम जतिन्द्र अरोड़ा, दिशा संस्था की मैडम रेणू सिंह, श्री जीवराज सिंह—डिप्टी लेबर कमिशनर, आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण तथा आई०जी (पुलिस) ने 85 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम में आयोग द्वारा विभिन्न विषयों पर तैयार सी०डी० भी प्रदर्शित की गई।

3. दिनांक 5.3.2010 को ***Police & Protection of Human Rights*** एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जिसमें कुल 80 व्यक्तियों, जिसमें 37 ट्रेनर्स, 18 रिसोर्स पर्सन्स के अलावा आमंत्रित महानुभावों, एनजीओ/प्रेस प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रिसोर्स पर्सन्स के रूप में एनएचआरसी के संयुक्त सचिव सर्वश्री जे०पी मीणा, महानिदेशक पुलिस श्री एच०सी०मीना, पुलिस महानिरीक्षक श्री पी०के० सिंह, पुलिस अधीक्षक (जयपुर दक्षिण) श्री जोस मोहन, सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री एस०पी० जैन, तिहाड जेल के एनजीओ श्री रामकृष्ण गोस्वामी, पूर्व राज्यपाल जस्टिस एन०एल० टिबरेवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस०आर० बाजवा, न्यायमूर्ति श्री आर०एस० राठौड़, के अलावा राजस्थान राज्य के जेल मंत्री श्री रामकिशोर सैनी, आयोग के सदस्यगण ने विभिन्न विषयों पर ट्रेनीज को आवश्यक जानकारियां दीं। कार्डिनेटर श्री यशपाल त्रिपाठी—उपाधीक्षक (पुलिस) ने कार्यक्रम का संचालन किया।

मानवाधिकारों से सम्बन्धित विषय सामग्री का जनहित में प्रकाशन :—

आम लोगों में विधिक साक्षरता व जन जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोग द्वारा प्रकाशित बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से निम्नांकित संस्थाओं/ व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रकाशित करवाया गया। पूर्व में करीब 60 संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा करवाये गये प्रकाशन की कड़ी में इस वर्ष निम्नांकित द्वारा प्रकाशित करवाया गया :—

61. श्रीमती ललिता देवी रामचन्द्र कासलीवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर
62. श्री दिग्म्बर जैन नसिंया उदयलाल जी ट्रस्ट, जयपुर (पुनः प्रकाशित)
63. अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा पत्रिका में कमानुसार लेख "महिलाओं के अधिकार" क्रमशः।
64. भारतीय दिग्म्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, सी०पी० टेंक, मुम्बई द्वारा मासिक पत्रिका 'तीर्थ वंदना' में लेख "भारतीय संस्कृति में अंहिसा व मानव अधिकार", 'मानवाधिकार व जैन धर्म' व सल्लेखना (समाधिमरण) का क्रमशः प्रकाशन।
65. भीलवाडा जिला यूनेस्को एसोसियेशन के त्रिदशक समारोह— 2009 के Souvenir में 'महिलाओं के कानूनी अधिकार' बुकलेट का प्रकाशन किया गया।
66. राजस्थान जैन समाज की 'श्री महावीर जयन्ती स्मारिका—2010' में तथा 'लोक उजास' Souvenir में 'मानवाधिकार और कर्तव्य' लेख का प्रकाशन।
67. भारतवर्षीय दिग्म्बर जैन तीर्थ कमेटी, मुम्बई द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार व गिरफ्तारी बुकलेट्स का कन्सोलिडेट संस्करण व मानवाधिकार व कर्तव्य का लेख प्रकाशित।

68. राजस्थान पॉलिटेनिक कॉलेज चुरु व सबल सेवा संस्थान, द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार व गिरफ्तारी बुकलेट्स का कन्सोलिडेट संस्करण व 'मानवाधिकार व कर्तव्य' लेख का प्रकाशन।
69. सहायक श्रम कमिशनर श्री जीवराज सिंह ने बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत बालकों के अधिकार पुस्तक का प्रकाशन करवाया।
70. अपना घर सेवा समिति, भरतपुर द्वारा "मानवाधिकार और कर्तव्य" लेख का प्रकाशन।
71. मॉ माधुरी बृज वारिस सेवा सदन, बझोरा, भरतपुर द्वारा 'महिलाओं के अधिकार' का प्रकाशन।
72. राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित स्मारिका—2010
73. समाचार जगत— समाचार पत्र।
74. रैनक टाईम्स' समाचार पत्र।
75. दैनिक नवज्योति' समाचार पत्र।
76. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स के 'राजस्थान चैम्बर संदेश' (अंक—अप्रैल—2010)।
77. स्व0 श्री गेंदीलाल शाह, एडवोकेट की पुण्य स्मृति में लॉयन कैलाशचंद व अजय शाह द्वारा।
78. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन कमेटी, मुम्बई, अंचल कार्यालय— जयपुर के अध्यक्ष अशोक नेता।
79. स्व. श्री धर्मपाल जैन की पुण्य स्मृति में।
80. स्व. श्री रामचन्द्र कासलीवाल, एडवोकेट की पुण्य स्मृति में।
81. श्री दिगम्बर जैन नसियां उदयलाल जी ट्रस्ट, जयपुर। (पुनः प्रकाशन)

## आर्टिकल—51ए में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता

(कलैण्डस, प्रैम्पलेट्स, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशन के माध्यम से)

प्रायः यह देखा गया है कि आज हर व्यक्ति अपने अधिकारों की ही बात कर रहा है। परन्तु हम अपने कर्तव्यों के प्रति कम सजग हैं। इसलिए लोगों में मानवीय अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जस्टिस एन0के0जैन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद—51—ए में वर्णित मुख्य कर्तव्यों की मंशा के अनुरूप का एक प्रारूप तैयार करवा कर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं/विभागों/संस्थाओं को भेजकर एक नई मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत करीब 100 स्कूल/संस्थाओं में सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प को दोहराया जा रहा है, जो प्रशंसनीय है। इसके अलावा अन्य कई संस्थाओं में भी संकल्प की यह प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय का मानना है कि इस संकल्प से व्यक्तियों में अच्छे संस्कारों के साथ—साथ मानवीय मूल्य एवं नैतिकता को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में अपने अधिकारों के साथ—साथ कर्तव्यों की पालना में भी काफी हद तक जागरूकता पैदा होगी।

1. श्री कालीचरण सर्वाफ, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री,
2. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग,
3. श्री पी.डी. सिंह, डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,
4. मैडम उर्मिल वर्मा, प्रिंसिपल, महावीर पब्लिक स्कूल
5. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सम्बद्ध (Affiliated) कॉलेज
6. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग,
7. अति० निदेशक (शैक्षिक) प्रारम्भिक शिक्षा, राज० बीकानेर
8. मैडम प्रिया मिश्रा शेखावत, डायरेक्टर, सैन्ट्रल एकेडमी
9. श्री गोस्वामी जी व श्रीचन्द्र साहू—भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन. जी.ओ. तिहाड जेल)
10. मैडम प्रेरणा अरोड़ा, 'पहल' पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर (सड़क सुरक्षा हेतु एन. जी.ओ.)

11. परम भागवत शिक्षा एवं सामाजिक विकास संस्थान, (*NIFESM*) जयपुर।
12. प्रयास, सेन्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग
13. श्री दिग्म्बर जैन नसियां उदयलाल जी ट्रस्ट, जयपुर
14. वर्ल्ड विजन इण्डिया, जयपुर
15. हैडकॉन
16. जैन अनुशीलन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय
17. नवमंगल शिक्षा समिति, जयपुर
18. जयपुर चाईल्ड लाईन— डायल 1098
19. भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड जेल)
20. विद्या ट्रस्ट, जयपुर
21. जे.पी.जे. फायरेंसियल सर्विसेज, राजापार्क, जयपुर
22. पहल, पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर
23. डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जयपुर
24. प्रिंसिपल डी.ए.वी. सेन्टेनरी स्कूल, वैशाली नगर, जयपुर
25. श्री महावीर दिग्म्बर जैन हाई स्कूल एलुमिनी एसोसियेशन, जयपुर
26. जयपुर बाल श्रमिक परियोजना संस्था, जयपुर
27. प्रिंसिपल सैन्ट्रल एकेडमी, महावीर नगर, जयपुर
28. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर
29. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, राजसमन्द
30. भारतीय यूनेस्को क्लब महासंघ, राजस्थान, भीलवाडा
31. प्रेसिडेंट, लायन्स क्लब, जयपुर (*District 323 E -1Club No. 026309*)
32. भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जयपुर
33. मोदी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साईंस, लक्ष्मणगढ़
34. प्रिंसिपल अग्रवाल बी.एड. कॉलेज, जयपुर
35. निदेशक, वियानी गर्ल्स कॉलेज, विद्याधर नगर, जयपुर
36. प्रिंसिपल, एस.वी.एम. पब्लिक स्कूल, अम्बावाडी, जयपुर
37. प्रिंसिपल, सुबोध पब्लिक स्कूल, जयपुर

38. जैसवाल कुटीर उद्योग, डी-2, रमन मार्ग, जयपुर-4
39. सुरभि एक्सपोर्ट, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, गुरुनानकपुरा, जयपुर
40. राजस्थान पेंशनर समाज/जिला पेंशनर्स समाज, जयपुर
41. K.M.G. College of B.Ed.
42. K.M.G. Teachers Training Institute
43. K.M.G. College of Arts and Science
44. Thiruvallur Elementary and Higher Secondary School, Vellore
45. लोकशिक्षक पत्रिका में प्रकाशन
46. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर द्वारा प्रकाशित 'मृत्युंजय' में प्रकाशन
47. राजस्थान पेंशनर्स समाज द्वारा पेंशनर्स पत्रिका में प्रकाशन
48. प्रेसिडेंट लायन्स क्लब (*District 323 E--1 Club No. 026309*) व जैना प्रिंटर्स, जयपुर
49. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर
50. भारतवर्षीय दिग्म्बन जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी मुम्बई, राजस्थान अंचल
51. विद्यास्थली ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्युशन्स, जयपुर
52. रेडिमेड सेन्टर, जौहरी बाजार, जयपुर
53. Cosmic Yoga Combine, Kanti Nagar, Station Road, Jaipur
54. Jaipur Diabilities &Research Centre, Near Ridhi-Sidhi, Gopalpura Bypass, Jaipur
55. विनायक फार्मा, डी-74 घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
56. श्रीमती ललिता देवी, रामचन्द्र कासलीवाल ट्रस्ट, जयपुर
57. जयपुर जिला बैडमिन्टन एसोसियेशन, जयपुर
58. राजस्थान पॉलिटेक्निक कॉलेज, रत्नगढ़ (चुरू) व सम्बल सेवा संस्थान, जयपुर।
59. Dr. B.Lal Clinical Laborty, Jaipur.
60. वैशाली हितकारी संगठन नागरिक हितों का सजग प्रहरी, जयपुर
61. राजधानी होटल, जयपुर।
62. हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग, श्री देश दीपक

आयोग की इस मुहिम को पूर्व वर्षों में उक्त 62 संस्थाओं द्वारा जनजागरूकता एवं संरक्षण कार्यक्रम में अपने आपको जोड़ते हुए मुहिम को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में वर्ष 2009–2010 में भी बहुत सी संस्थाओं द्वारा आयोग के जन जान–जागरूकता के कार्यक्रम को बढ़ाते हुये सूचित किया गया है। जिनमें से कुछ निम्नांकित है :—

63. जयपुर थियोसोफिकल लॉज, जयपुर
64. महेश्वरी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, जयपुर
65. कन्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर
66. Zunitech Consulting Pvt. Ltd. Bangalore/ Delhi
67. राजधानी हास्पीटल, जयपुर
68. श्रीमती ललिता देवी रामचन्द्र कासलीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर
69. धामू एण्ड कम्पनी, जयपुर
70. विमुक्ति संस्थान, जयपुर
71. भारतीय दिगम्बर तीर्थ क्षेत्र कमेटी, मुम्बई
72. श्री देश दीपक, सचिव लोकायुक्त सचिवालय, हिमाचल प्रदेश
73. जयपुर नगर निगम
74. अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा पत्रिका, मथुरा
75. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, सी.पी. टैंक, मुम्बई ।
76. राजस्थान जैन सभा, जौहरी बाजार, जयपुर ।
77. हैल्प एज {इण्डिया} जवाहर नगर, जयपुर {हिन्दी / अंग्रेजी}
78. सम्बल सेवा संस्थान, रतनगढ़ चुरु ।
79. स्व० श्री गणेशमल बैद राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, रतनगढ़ ।
80. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन {धर्म संरक्षणी} महासभा, नई दिल्ली ।
81. कमिशनर मुख्यालय, नगर निगम, जयपुर ।
82. यातायात पुलिस, जयपुर

83. विंग ऑफ रिसर्च इन लोकल डेवलपमेन्ट WORLD जयपुर
84. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई सैकड़री स्कूल एलुमनी एसोसियेशन, जयपुर (हिन्दी / अंग्रेजी)
85. M.D. Group of Education, Sikandara, Agra (English/Hindi)
86. गीता बजाज महाविद्यालय, जयपुर
87. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, राजस्थान अंचल, जयपुर
88. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
89. The Little Pixies School, Vidyut Nagar, Jaipur
90. दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान, जयपुर
91. लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान
92. देश और व्यापार बीकानेर से प्रकाशित मासिक पत्रिका
93. निदेशक, राजस्थान पुलिस एकेडमी, नेहरू नगर, जयपुर
94. दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीर जी, करौली
95. Children's Educational Society, Bhilwara
96. मॉ माधुरी बृज वारिस सेवा सेदन, बझेरा (भरतपुर)
97. विद्या ट्रस्ट, 19, कीर्ति नगर, श्याम नगर, जयपुर (पुनःप्रकाशित)
98. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर (पुनःप्रकाशित)
99. सेंट पॉल्स इंग्लिश स्कूल, भदादा बाग, भीलवाडा ।
100. राजस्थान किडनी केयर व किडनी पेशेन्ट एसोसियेशन, जयपुर ।
101. जयपुर कैसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर ।
102. इण्डियन अस्थमा केयर सोसायटी, जयपुर ।
103. हैल्प एज इण्डिया द्वारा *World Elder Abuse Awareness Day* पर ।
104. पुलिस एकेडमी, तमीलनाडु Addl. D.G.P. व डायरेक्टर द्वारा ।
105. राजस्थान पुलिस, महानिदेशक, D.G.P. पुलिस मुख्यालय, जयपुर ।
106. International Summer School of Jain Studies, New Delhi.

## प्रोजेक्ट के माध्यम से पॉवर पाइंट प्रोजेक्ट्स का जनजागरूकता

आयोग द्वारा जनजागरूकता अभियान के अन्तर्गत 21 विभिन्न विषयों पर तैयार किए गये पॉवर पाइंट प्रोजेक्ट्स की सी0डी0 तैयार कर कुछ संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं आदि को वितरित की जा रही है। इस वर्ष के दौराना आर्टिकल- 51ए के कर्तव्यों के संकल्प दोहराने के साथ—साथ आयोग द्वारा तैयार की गई सी0डी0 अपने कार्यक्रम में प्रदर्शित करने की सुचनाएँ दीं हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं :—

01. डी0ए0वी0 सेन्टनेरी स्कूल, वैशाली नगर, जयपुर।
02. महावीर दिग्म्बर जैन व महावीर पब्लिक स्कूल, सी—स्कीम, जयपुर।
03. नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, जयपुर।
04. पीपुल्स ट्रस्ट, टॉक रोड़, जयपुर।
05. अधिवक्ता परिषद्, राजस्थान जिला ईकाई— बीकानेर
06. महावीर सीनीयर सैकंडरी स्कूल, जयपुर
07. All India Human Rights Association (AIHRA) RAJASTHAN
08. राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान
09. Amity University Rajasthan, Jaipur
10. Jagannath University, Chaksu, Jaipur
11. Department of Laws, University of Rajasthan
12. पाजिटिव वूमेन नेटवर्क ऑफ राजस्थान, जयपुर
13. पेंशन समाज देवनगर शाखा, जयपुर
14. भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, जयपुर
15. श्री दिग्म्बर जैन आदर्श महिला संस्कृत महाविद्यालय श्रीमहावीरजी
16. दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान, जयपुर
17. सुबोध स्कूल, जयपुर
18. हेडकॉन, जयपुर

19. Judicial Academy, High Court, Madras
20. Tamilnadu State Human Rights Commission, Chennai
21. Tamil Nadu Police Academy, Chennai
22. मॉ माधुरी बृज वारिस सेवा सेदन, बझेरा (भरतपुर)
23. Five Year Degree Law College, Rajasthan University, Jaipur
24. Children's Educational Society, Bhilwara, Rajasthan.

माह — अप्रैल 2009 से मार्च 2010 तक

आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय जस्टिस एन0के0 जैन के निर्देशन में

डा० राम मनोहर लोहिया एन0एल0यू० लखनऊ, राजीव गांधी एन0एल0यू० पटियाला के०आई०आई०टी० भुवनेश्वर, भारतीय विद्यापीठ पूरे, आई०सी०एफ०ए०आई० लॉ कॉलेज देहरादून, चाणक्य एन0एल0यू० पटना, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी देहली एनसीआर, व निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद कुल 25 छात्र—छात्राओं ने इन्टर्नशिप पूर्ण कर *Power Point Projects* महिलाओं, दलितों, बच्चों के मानवाधिकार, गिरफ्तारी, पर्यावरण, एच०आई०वी० एड्स, कैंसर, बाल श्रम, बाल—अपचारिता, आयोग की गतिविधियां, घरेलू हिंसा, आर्टिकल-51ए आदि विषयों पर आयोग के समक्ष पेश किए। जो आयोग की वेबसाईट [www.rshrc.nic.in](http://www.rshrc.nic.in) & [justicenagendrakjain.com](http://justicenagendrakjain.com) पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स *word file* में तैयार कर पेश किए गये। उक्त संस्थानों के प्रमुखों को माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार पत्र लिखकर छात्रों के कार्यों की सराहना करते हुए इन प्रोजेक्ट्स को अपने कॉलेज/यूनिवर्सिटी व अन्य जगहों पर प्रदर्शित करने की अपेक्षा की गई, जिससे आमजन में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता आये और इसका प्रचार—प्रसार हो। आयोग द्वारा उक्त प्रोजेक्ट्स की कन्सोलिटेड पी०पी०टी० कॉपी विभिन्न स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं एन0जी०ओ० को जनजागरूकता कार्यक्रम के तहत भिजवाई जा रही है।

## आयोग के विगत पांच वर्ष (30.6.2010 तक) एक नजर में

- करीब 18138 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 17148 परिवाद का *logical conclusion* के साथ निस्तारण किये गये तथा 990 प्रकरण लम्बित हैं। जिनमें करीब 210 दिशा—निर्देशित मामलों में से करीब 165 मामलों में वास्तविक क्रियांविति कर आयोग को सूचित किया गया, करीब 45 परिवादों में दिए गये दिशा—निर्देश विभिन्न विभागों के स्तर पर पेंडिंग हैं।
- Legal Literacy and Awareness Programme* के अन्तर्गत आमजन में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता के लिए विभिन्न कानूनी विषयों पर 32 बुकलेट्स आयोग के माननीय अध्यक्ष जस्टिस एन०के०जैन द्वारा लिखी गई। जिनमें से 18 का प्रकाशन आयोग के द्वारा किया गया। कुछ बुकलेट्स करीब 82 संस्थाओं द्वारा भी पुनः प्रकाशित करवाकर आयोग को सूचित किया गया। अब तक लगभग 90,000 (नब्बे हजार) बुकलेट्स निःशुल्क वितरित की जा चुकी है। पुस्तकों आयोग की वेबसाईट [www.rshrc.nic.in](http://www.rshrc.nic.in) व [justicenagendrakjain.com](http://justicenagendrakjain.com) पर भी उपलब्ध है। लगभग 100 से अधिक विद्यालयों/संस्थाओं के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों में उक्त किताबों के माध्यम से मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। जो कि एक सराहनीय कार्य है। 18 बुकलेट्स का संकलन कर स्कूलों, संस्थान व अन्य विधित लोगों को भेजा गया।
- आयोग की पहल और प्रयासों से संविधान के अनुच्छेद 51—ए में वर्णित मूल कर्तव्यों की बुकलेट व प्रारूप को करीब 105 विभिन्न पत्र—पत्रिकाओं व संस्थाओं ने प्रकाशित किया तथा विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया जा रहा है। इस प्रारूप के पेम्पलेट्स, कलैण्डर्स, बैनर्स, फ्लैक्सबोर्ड्स करीब 1,40,000 (एक लाख चालीस हजार) की संख्या में वितरित हो चुके हैं।

- विभिन्न विश्व—विद्यालयों/महाविद्यालयों के करीब 71 विधि—विद्यार्थियों ने आयोग में इन्टर्नशिप के दौरान अपने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए। 41 पॉवरपाइंट प्रोजेक्ट्स आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। आयोग ने प्रोजेक्ट्स को समय—समय पर चार सीडी में *consolidate* किया है। ये सी०डी० विभिन्न विश्व—विद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों एवं संस्थाओं को वितरित की गई। जो अपने कार्यक्रमों के साथ प्रोजैक्ट्स को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रसारित कर मानवाधिकारों के प्रति जनचेतना व जनजागरूकता में सहयोग दे रहे हैं।

इन सभी प्रयासों से आम नागरिकों में मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता व कर्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना जागृत होगी तथा सभी अपने कर्तव्यों सही तरह से निर्वहन करेंगे और आयोग अपने उद्देश्यों में सफल हो पायेगा।

सम्पादक

**गाँधी जी ने सन् 1947 में अधिकार व कर्तव्य की चर्चा करते हुए Julien Huxley को एक पत्र लिखा**

*"I learned from my illiterate but wise mother that all rights to be deserved and preserved came form duty well done. Thus, the very right to live accuses to us when we do the duty of citizenship of the world. For this one fundamental statement, perhaps it is easy enough to define duties of man and woman and co-relate every rights to some corresponding duty be is first preformed---"*

**आयोग द्वारा विभिन्न विभागों का उनके नियमित कार्यों की निरन्तर मोनिटरिंग करने वाबत् पूर्व में दिये निर्देश**

आयोग द्वारा विभिन्न परिवादों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जैसे—मंदबुद्धि व्यक्तियों के ईलाज, पर्यावरण सुरक्षा, बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा भूख व कुपोषण से होने वाली मौतों पर नियंत्रण करने आदि। साथ ही, असहाय, मंदबुद्धि, मनोरोगी, निःशक्तजन एवं लावारिस लोगों की निःशुल्क चिकित्सा व अन्य सुविधा के लिए भी कोई योजना बनाने और जब तक सुचारू योजना लागू ना हो, ऐसे पीडितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए किसी भी कल्याणकारी योजना के तहत उन्हें लाभांवित करने। इसके अलावा हिरासत में होने वाली मौत की एफ.एस.एल. रिपोर्ट्स के प्राप्त होने में अनावश्यक विलम्ब तथा आवश्यक सेवाओं में रिक्त पदों की पूर्ति, शहरों में सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई समय पर कराने, विभिन्न विभागों द्वारा सड़कों की खुदाई व शीघ्र मरम्मत के लिए आपसी समन्वय, अतिक्रमणों की रोकथाम के साथ—साथ शहर में पार्किंग व्यवस्था सुचारू एवं सुव्यवस्थित करने, विवाह स्थलों पर सफाई एवं पार्किंग की नियमानुसार व्यवस्था, लोकमित्र में बिलों की जमा की प्राप्ति रसीद साफ व गहरी प्रिंटिंग वाली देने, जन सुविधा केन्द्र बनाने, पॉलिथिन की थैलियों के प्रयोग पर रोकथाम, मेलों में मानवाधिकारों की जानकारी आदि के लिए भी समय—समय पर राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए जाते रहे हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य के सभी अस्पतालों में मरीनों एवं उपकरणों की समय पर मरम्मत व रख—रखाव करने, एच0आई0वी0 पीडित/ किडनी पेशेन्ट के ईलाज, कैंसर पीडित के लिए सोर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने, जेलों में बंदियों को नियमानुसार दिए जाने वाली सुविधाएं सुनिश्चित करने, बहुमंजिला भवनों में पार्किंग सुविधा, बिजली के खुले एवं नंगे तारों तथा ट्रांस्फारमर को सुव्यवस्थित करने, आवारा पशुओं को आम रास्तों व सड़कों से हटाने, पेंशनर्स को समय पर ईलाज व दवाईयां मुहैया कराने, मासूम छोटे स्कूली बच्चों के स्कूल बैग का बोझ कम करने, स्कूलों का समय तर्कसंगत करने, स्कूलों में

पानी, बिजली, शौचालय की माकूल व्यवस्था करने और बच्चों को लाने—लेजाने वाले ऑटो—टेम्पो, वैन आदि में बच्चों को जगह से कहीं अधिक मात्रा में नहीं भरकर ले जाने की सुव्यवस्था, इसके अलावा कई अन्य तथा कठपूतली नगर ज्योति नगर में रहने वाले व कठपूतली का तमाशा दिखाने में कार्यरत लोगों के लिए कठपूतली ग्राम बनाने पर विचार करने, बूस्टरों का अवैध प्रयोग रोकने, के सम्बन्ध में निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा आयोग के आदेशों की अनुपालना में महानिदेशक (पुलिस) के द्वारा दिए गये दिशा—निर्देशों के बावजूद पुलिस थानों में एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाने की शिकायतों पर अन्य संस्थाएं बिला वजह अनुसंधान कर अपनी रिपोर्ट आयोग को परिवाद के रूप में भेजती है। इसलिए पुलिस का यह दायित्व है कि वह परिवादी की शिकायत पर तुरन्त एफआईआर दर्ज कर, निष्पक्ष व त्वरित अनुसंधान करें। पुलिस थानों में फरियादियों के साथ अच्छा सलूक करने तथा जिला एवं पंचायत स्तर पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने आदि के लिए भी आयोग ने समय—समय पर विभिन्न परिवादों में निर्देश जारी किए, साथ में लोगों से यही अपेक्षा की है कि मानव अधिकारों के संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार है, तो किसी का कर्तव्य, दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। सुशासन के लिए अधिकारीगण से अपेक्षा की है कि वह जनहित में कार्य करें, लोक सेवकों के साथ—साथ यह आम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वह लोक सेवकों को कर्तव्य निर्वहन में सहयोग देवें जिससे काम में पारदर्शिता व संवेदनशीलता बनी रहे और आम नागरिकों को परेशानी न हो तथा निरन्तरता के लिए मोनिटरिंग करते रहे।

—अध्यक्ष

**"It has always been a mystery to me how men can feel themselves honoured by humiliation of their fellow beings."**

**"There is a higher court than the court of justice and that is the court of consciousness. It supersedes all other courts"**

**- Mahatma Gandhi**